न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 03/2016/नागौर (2017/00106)

श्री मोईनुल हक पुत्र श्री सैयद ईनामुल हक, जाति मसलमान निवासी 572, डिफेन्स कॉलोनी, कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना जोधपुर।

अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर आदेश कमांक न्याय/आर्म्स/2017/487 दिंनाक 24—01—2017

————

उपस्थितः 1— श्री गुलाम नजमी फारूकी , अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक : 11—5—2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट नागौर के समक्ष अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 30/2002 को नवीनीकृत करने हेतु निवेदन किया जिसे जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2017/487 दिनांक 24—1—2017 में अपीलांट द्वारा अपने शस्त्रों से लोगों को डराने धमकाने का आरोप तथा लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को खतरा होने से आर्म्स एक्ट की धारा 17(3)(ख) के तहत अपीलांट के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 30/2002 निरस्त कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के

उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट राजकीय अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 30/2002 जारी किया हुआ है। अपीलांट एक शांतिप्रिय नागरिक होकर पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अपीलर्थी के द्वारा कभी भी उसके पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया न ही कभी उसके विरूद्ध शस्त्र दुरूपयोग की कोई शिकायत पंजीबद्ध कराई गई। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से अपीलांट के विरूद्ध महानिरीक्षक पुलिस रेजं जोधपुर के पत्र दिनांक 29—9—2016 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट नागौर को सूचित किया गया कि अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर अनुसंधान जारी है और आरोपी मोईनुल हक ने अपने लाईसेंसशुदा शस्त्र का दुरूप्योग कर लोगों को षडयंत्रपूर्वक ब्लेकमेल कर उद्धापित कर राशि हड़पने और लोगों को डारा धमका कर सम्पति पर कब्जा करने का अपराध कारित का आम जनता की सुरक्षा व शांति व्यवस्था में संकट उत्पन किया है। अतः अपीलांट के पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3)(बी) के तहत निलबित/रद्द किया जावे। उक्त रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलांट को नोटिस जारी कर तलब किया गया जिसके अनुसरण में अपीलांट ने समस्त तथ्यों एवं परिस्थिति का उल्लेख करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा कभी भी शस्त्र अनुज्ञा पत्र का दुरूपयोग नहीं किया है। साथ ही अनुज्ञा पत्र वर्ष 2002 से निरन्तर प्रभाव में है। अपीलांट के प्रति दुर्भावना रखने वाले व्यक्तियों की शह पर असत्य तथ्यों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना आबू पर्वत में दर्ज करवाई गई साथ ही उस घटना के बाद जिस प्रकार आनन—फानन में अपीलांट को गिरफ्तार किया गया जिसका भी उल्लेख अपीलांट द्वारा अपने जवाब में किया गया। पुलिस थाना लूणी में दर्ज प्रथम सूचना संख्या 153/2016 अपीलांट को महज परेशन करने एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण दर्ज कराई गई।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलांट क पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर अपीलांट को दिया गया लाईसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सके। जो प्रकरण अपीलांट विरूद्ध दर्ज करवाये गये है वे झूठे एवं व्यक्तिगत प्रकृति के है जिनमें लोक शांति या सुरक्षा का काई प्रश्न ही नहीं है। धारा 17 3 (ख) के अनुसार सक्षम अधिकारी को यह उल्लेखित करना आवश्यक होता है कि अपीलांट के पक्ष में जारी किया गया शस्त्र अनुज्ञा पत्र अब भविष्य में निरन्तर

जारी रखा जाता है तो लोक शांति एवं लोक सुरक्षा विपरीत रूप से प्रभावित होगी। उक्त प्रकरण में आक्षेपित आदेश के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने इस तरह का कोई निष्कर्ष अपने आक्षेपित आदेश में अंकित नहीं किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश बिना कारण के पारित किया गया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

उनका यह भी तर्क है कि आक्षेपित तीन आपराधिक प्रकरणों का उल्लेख किया गया है कि पुलिस थाना लूणी में दर्ज प्रकरण में अपीलांट की जमानत हो चुकी है एवं पुलिस थाना प्रतापनगर में दर्ज प्रकरण में भी अपीलाट जमानत पर है और इस प्रकरण में माननीय उच्च न्याालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध किसी भी तरह के बलपूर्वक कार्यवाही नहीं किये जाने का भी आदेश पारित किया जा चुका है। पुलिस थाना आबू पर्वत में दर्ज प्रकरण में पुलिस रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों में अपीलार्थी द्वारा शस्त्र का गलत एवं विधि विरूद्ध इस्तेमाल करने का कोई आक्षेप या आरोप नहीं है। इस प्रकार किसी भी आपराधिक प्रकरण में अपीलार्थी ने अपने पक्ष में जारी अनुज्ञा पत्र की किसी भी शर्त का न तो उल्लंघन किया है और न ही शस्त्र का किसी भी प्रकार से गलत या विधि विरूद्ध उपयोग किया है। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के आदेश से यह कहीं दर्शित नहीं होता है कि अपीलांट ने लाईसेंस की किस शर्त का उल्लंघन या अति उल्लंघन किया है अर्थात अपीलाट का लाईसेन्स बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया है। सक्षम अधिकारी का यह विधिक कर्तव्य था कि वह अपने आक्षेपित आदेश में इस बात का उल्लेख करते कि अपीलांट ने शस्त्र अधिनियम के किस प्रावधान का और लाईसेंस की किस शर्त का उल्लंघन किया है। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर के पत्र दिनांक 29—9—2016 एवं अपीलांट के विरूद्ध दर्ज तीन आपराधिक प्रकरणो के अलावा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर सक्षम अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते कि अपीलांट के पक्षमें जारी किया गया लाईसेंस यदि निरन्तर जारी रखा जाता है तो उससे लोंक शांति या सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा हो। ऐसी सूरत में बिना किसी आधार के अपीलांट के विरूद्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट का लाईसेंस निरस्त करने से पूर्व उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। आक्षेपित आदेश में सक्षम अधिकारी ने मात्र शिकायत और अपीलांट के जवाब का उल्लेख कर बिना कोई कारण बताये शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) (ख) का उल्लेख करते हुए अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। सक्षम अधीकारी ने न तो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में अभिकथित किये गये आधारों का उल्लेख किया और न ही यह अभिकथन किया कि ऐसी क्या परिस्थिति या आवश्यकता उत्पन्न हो गई जिसके आधार पर अपीलांट के पक्ष में जारी लाईसेंस को निरन्तर

रखे जाने पर लोक शांति एवं सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो। बिना लोक शांति एवं सुरक्षा के खतरे के निष्कर्ष के अपीलांट के पक्ष में जारी लाईसेंस को निरस्त करना कानूनन गलत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–1–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर से रिपोर्ट तलब की गई। महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक प.15( )जाच.–रेंज/अशा/विविध/2016/4827–31 दिनांक 29–9–2016 द्वारा उल्लेखित किया है कि शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी सैयद मोईनुल हक पुत्र सैयद ईनुलहक जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला सईदा वार्ड संख्या 10 डीडवाना जिला नागौर हाल निवासी 572 डिफेन्स कॉलोनी कमला नेहरू नगर पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर पश्चिम आयुक्तालय जोधपुर के विरूद्ध तीन आपराधिक प्रकरण क्रमशः (1) प्रकरण संख्या 69 दिनांक 16–9–2016 जुर्म धारा 384, 388, 120 बी भा.द.स पुलिस थाना आबू पर्वत जिला सिरोही, (2) प्रकरण संख्या 153 दिनांक 21.9.2016 जुर्म धारा 385, 386, 389, 120 बी भदस पुलिस थाना लूणी जोधपुर (पश्चिम) आयुक्तालय, जोधपुर (3) प्रकरण संख्या 440 दिनांक 23–9–2016 जुर्म धारा 420, 406, 386, 34 भादस पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर उक्त प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। सैयद मोईनुल हक ने अपने लाईसेन्सशुदा शस्त्र का दुरूपयोग कर लोगों को षडयंत्रपूर्वक ब्लैकमेल कर उद्धापित कर राशि हड़प लेने तथा लोगों का डरा धमका कर सम्पत्ति पर कब्जा करने के अपराध कारित कर आम जनता की सुरक्षा व शांति व्यवस्था में संकट उत्पन्न किया है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है। अपीलांट से भविष्य में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को खतरा होने के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(ख) के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है, जो विधिसम्मत है।

मैने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 30/2002 जारी किया हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर से रिपोर्ट तलब की गई। महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा अपीलांट के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी द्वारा कारित कृत्य भा.द.स. की धारा 384, 385, 386, 388, 389, 120 बी में दर्ज हुए है जिनमें अपीलांट द्वारा

अपने शस्त्रों से लोगों को डराने धमकाने का आरोप होने तथा लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को खतरा होने से आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(ख) के तहत अपीलांट मोईनुल हक के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 30/2002 निरस्त किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन एवंत थ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नागौर) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2017/487 दिनांक 24–1–2017 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 11–5–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर